भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 993

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन

993. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170, जिसका उद्देश्य आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकना है, की अवहेलना के विषय में राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को दिए गए निदेश के कारण उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और आयुष उत्पाद निर्माताओं द्वारा असत्यापित दावों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चिंताओं के मद्देनजर नियम 170 के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित या सुदृढ़ करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधनों को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क), (ग) और (घ): आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर, दिनांक 01.07.2024 के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 360(ङ) के तहत औषधि नियम, 1945 के नियम 170 को विलोपित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 645/2022 में दिनांक 27.08.2024 के अपने आदेश के तहत अगले आदेश तक औषधि नियम, 1945 के नियम 170 को विलोपित करने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। औषधि नियम, 1945 का नियम 170 न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख): उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और आयुष उत्पाद विनिर्माताओं द्वारा असत्यापित दावों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम को केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है, जो देश भर में स्थापित एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 97 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्य करता है। इन केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और चूककर्ता के

विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने का अधिकार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष औषधियों पर निगरानी रखना और भ्रामक विज्ञापनों को कम करना है, ताकि उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और आयुष उत्पाद विनिर्माताओं द्वारा असत्यापित दावों के प्रसार को रोका जा सके।

2. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाले आयुष औषधियों सहित औषधियों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने परामर्श जारी किए हैं और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें लागू करने और विनियमित करने के लिए राज्य औषधि प्रशासन (एसएलए) को निर्देश दिए हैं।

3. आयुष मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें आम जनता को एएसयू एंड एच औषधियों/दवाओं से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया गया है और उनसे भ्रामक विज्ञापनों से बचने का आग्रह किया गया है। यह सूचना भारत भर के 100 प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की गई थी।

4. उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत (जीएएमए) पोर्टल का संचालन करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, चूँकि टीवी चैनलों का नियमन और प्रवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संदर्भ, कार्रवाई के लिए एमओआईबी को भेजे जाते हैं।

5. आयुष मंत्रालय ने आयुष स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और आम जनता के लिए दिनांक 30 मई 2025 को एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" विकसित और आरंभ किया है ताकि कथित भ्रामक विज्ञापनों (एमएलएएस)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओएएस) और प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआरएस) की निगरानी की जा सके।

*****